बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 –पार्ट–I...640...   पटना, दिनांक–...31.07.26...

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

महत्वपूर्ण

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),

जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :– CFMS **अवधि के डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– वित्त विभाग का पत्रांक–6771 दिनांक 22.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संलग्न कर अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालय को निदेशित किया जाए।

साथ ही डी०सी० विपत्रों के समायोजन की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।

अनु०–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

31.7.26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–**1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 –पार्ट–I** –...640...   पटना, दिनांक ...31.7.26...

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त्।

31.7.26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–**1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 –पार्ट–I** –...640...   पटना, दिनांक ...31.7.26...

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र को संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त्।

31.7.26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्र सं०– को०प्र०/ए०सी०–04/2024 5771/

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

महावीर प्रसाद शर्मा,
विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार।

सभी विभागाध्यक्ष,
सभी विभाग, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 22/07/2026

विषयः– CFMS अवधि के डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के संबंध में।

प्रसंगः– महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक–TM/DC&UC/26-27I/1451033/2026, दिनांक–27.05.2026 एवं पत्रांक–TM/DC&UC/26-27I/1501801/2026, दिनांक–02.07.2026 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक–12926, दिनांक–19.12.2025 के आलोक में CFMS अवधि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं डी०सी० विपत्रों के समायोजन हेतु ऑफलाईन माध्यम से समर्पित किए जाने की अस्थायी व्यवस्था को दिनांक–01.06.2026 से CFMS के माध्यम से Online महालेखाकार कार्यालय को समर्पित करने हेतु विभागों/कोषागारों एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित करने का अनुरोध किया गया है।

2. विदित है कि वित्त विभागीय पत्रांक–12926, दिनांक–19.12.2025 द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब तक CFMS पोर्टल के माध्यम से विपत्रों को तैयार कर प्रेषित किये जाने की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाती है, तब तक के लिए दिनांक–01.04.2019 के पश्चात के लंबित डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ऑफलाइन AC/DC & UC संग्रहण केन्द्र, वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को समायोजन हेतु प्रेषित किया जायेगा। साथ ही वित्त विभागीय पत्रांक–5659, दिनांक–17.06.2026 द्वारा दिनांक–31.05.2026 तक सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र को ऑफलाईन माध्यम तथा दिनांक–01.06.2026 से सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र को CFMS के माध्यम से महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को समर्पित किये जाने का अनुरोध किया गया।

3. चूँकि वित्त विभागीय पत्रांक–12926, दिनांक–19.12.2025 द्वारा CFMS 2.0 के सूचारू रूप से क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए CFMS अवधि के लंबित डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ऑफलाईन समायोजन हेतु अस्थायी व्यवस्था की गई है।

अतः महालेखाकार कार्यालय के अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय निम्नवत हैं :–

s-30

डायरी सं.........
दिनांक.........
मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग पटना

डायरी सं. 5584
दिनांक 27.07.26
मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना

(i) दिनांक–01.04.2019 के पश्चात सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी०सी० विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र को CFMS के माध्यम से संबंधित कोषागार को प्रेषित करते हुए महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को समायोजन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(ii) CFMS अवधि के वैसे डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो दिनांक–19.12.2025 के पश्चात ए०सी०/डी०सी० एवं यू०सी० संग्रहण केन्द्र, वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं तथा उनका समायोजन अभी तक लंबित है, का उठाव विभागों द्वारा सुनिश्चित कर उन्हें CFMS के माध्यम से संबंधित कोषागार को प्रेषित करते हुए महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को समायोजन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(iii) दिनांक–01.04.2019 के पूर्व (Pre CFMS अवधि) सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी०सी० विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र को ऑफलाइन ए०सी०/डी०सी० एवं यू०सी० संग्रहण केन्द्र, वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को समायोजन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

4. अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि CFMS अवधि के डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को CFMS के माध्यम से संबंधित कोषागार को प्रेषित करते हुए महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को समायोजन हेतु नियमानुसार प्रेषित करने की कृपा की जाय।साथ ही उक्त के संबंध में अधीनस्थ कार्यालय को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(महावीर प्रसाद शर्मा)
विशेष सचिव ।

s-30